पद्धति के सामान्य नियमों के नियम 3 के अनुसार करती है । जिसका पाठ इस प्रकार है:-

"इस नगरपालिका का काम अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा हिन्दी में किया जायेगा और कार्यवाहियां (जब तक किसी विशेष समिति के बारे में मुख्य आयुक्त निर्देश न दे दे) अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा उर्दू में लिखी जायेंगी ।

किन्तु यह नियम किसी भी समिति द्वारा अपने कार्य में, अपनी कार्यवाहियों को लिखने में अथवा सूचनाओं, कार्यसूची तथा कार्यवाहियों के जारी करने में उपर्युक्त भाषाओं में से एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग करने में बाधक नहीं होगा । वैसे इस समिति के कार्य उपनियमों के नियम 8 का पाठ इस प्रकार है:-

"सारा काम अंग्रेजी में किया जायेगा"

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि नई दिल्ली नगरपालिका की भाषा विषयक नीति लगभग वही होगी जो राज भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 में व्यक्त की गई है और वर्तमान उप नियमों को समुचित रूप से संशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली वृहद् योजना

9634. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व निर्माण तथा आवास मन्त्री की अध्यक्षता में दिल्ली वृहद् योजना के सम्बन्ध में दिल्ली में 8/7 अप्रैल, 1968 को हुई सर्वदलीय बैठक में इस योजना के बारे में व्यक्त किये गये असन्तोष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय मन्त्रालय में उप विकास-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी, हां ।

(ख) इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

Insanitary Conditions in Kasturba Nagar, Delhi

9635. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the Government have received complaints about the insanitary conditions prevailing in Kasturba Nagar, Delhi for quite some time ;

(b) whether it is a fact that the quarters constructed there require repairs particularly to verandhas, roofs and doors; and

(c) if so, the steps being taken by Government to improve the sanitary conditions in that colony ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) The Municipal Corporation of Delhi are responsible for the general sanitation and cleanliness of the area. The C. P. W. D. are concerned only with the cleaning of internal drains from the houses. The general sanitation is not all that could be desired as the colony has opened drains.

(b) Repairs are carried out as and when necessary. Recently, re-flooring of a number of houses at a total cost of Rs. 71,6000/- has been done. Roofs and doors are also being repaired.

(c) The question of provision of underground drains is being considered.

Houses on Hire-Purchase Basis in Chandigarh

9636. SHRI SHRI CHAND GOEL : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have received some representations from the Government employees of the Union Territory of Chandigarh for the allotment of houses on hire-purchase basis ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a)

No such representation has been received in this Ministry.

(b) Does not arise.

Social Welfare Schemes for Chandigarh

9637. SHRI SHRI CHAND GOEL : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state the social welfare schemes which Government have undertaken for the Union Territory of Chandigarh for the current year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. (SMT.) PHULRENU GUHA) : No proposal for Social Welfare programmes for the Annual Plan 1968-69 was received from Chandigarh Adminisaration.

मध्य प्रदेश में परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

9638. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि पर्याप्त धन की कमी के कारण राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विशेषतया उन परियोजनाओं को जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक हैं, क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) मध्य प्रदेश सरकार के लिए किस प्रकार धन की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ताकि महत्वपूर्ण परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब न हो ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1968-69 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से इस प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने में जिन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है, उनके आधार पर, जिन में अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक प्रायोजनाओं की आवश्यकताओं का विचार करना भी है, मध्य प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक जो केन्द्रीय सहायता दी जा सकती है उसका आश्वासन पहले ही राज्य सरकार को दे दिया गया है। केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को और किसी प्रकार से वित्त-पोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तीन योजनाओं में मध्य प्रदेश में किया गया प्रति-व्यक्ति व्यय

9639. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति-व्यक्ति व्यय सब से कम हुआ ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति के सुधार के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पहली तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं के दौरान मध्य प्रदेश में हुआ प्रति-व्यक्ति आयोजना-व्यय अन्य राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की तुलना में सब से कम नहीं था।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

"घेराव" से उद्योगों का बीमा

9641. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'घेराव' से उद्योगों के बीमा के बारे में सरकार को हाल में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?